



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3506]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 3506]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSHA 1, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4007(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
454	756	गुजरात राज्य में बोदेली के निकट रारा - 56 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जंबूगोधा, पावागढ़ को जोड़ने वाला और हलोल में हलोल बाइपास पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
455	148एम	गुजरात राज्य में वड़ोदरा के निकट रारा - 48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भैली, समियाला, लक्ष्मीपुरा, संगम, पदरा, दभासा, महवाड़, किंखलोड, बोरसाड में पाकीजा सोसायटी, निसराया, अलारसा, कोसींद्रा इंदिरानगर को जोड़ने वाला और अंकलाव पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
456	751डी	गुजरात राज्य में वतमान चौक के निकट रारा - 751 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फतेपुरा, वलंदापुरा, इंद्रनाज, तारापुर, लकुलेश नगर को

		जोड़ने वाला और धरमाज के निकट रारा - 64 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
457	751डीडी	गुजरात राज्य में तारापुर के निकट नए रारा - 751डी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सोजित्रा, पिपलाव, सुनव को जोड़ने वाला और बंधनी चौक के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
458	351एफ	गुजरात राज्य में अमरेली के निकट रारा - 351 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर इश्वरिया, वरसडा, पिपरिया, टोडा, लाथी, महावीरनगर, चावंद को जोड़ने वाला और धासा चौक के निकट रारा - 51 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
459	147डी	गुजरात राज्य में लिमखेड़ा के निकट रारा - 47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हाथीधरा, फूलपरी, लिंबडी को जोड़ने वाला और गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3807, दिनांकित 05.12.2017 द्वारा किया गया था

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

S.O. 4007(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
454	756	The highway starting from its junction with NH-56 near Bodeli connecting Jambugodha, Pavagarh and terminating at Halol bypass in Halol in the State of Gujarat.
455	148M	The highway starting from its junction with NH-48 near Vadodara connecting Bhaili, Samiyala, Laxmipura, Sangam, Padra, Dabhasa, Mahuvad, Kinkhlod, Pakiza Society in Borsad, Nisraya, Alarsa, Kosindra Indiranagar and terminating at Anklav in the State of Gujarat.
456	751D	The highway starting from its junction with NH-751 near Vataman Chowk connecting Fatepura, Valandapura, Indranaj, Tarapur, Lakulesh Nagar and terminating at its junction with NH-64 near Dharmaj in the state of Gujarat.

457	751DD	The highway starting from its junction with new NH-751D near Tarapur connecting Sojitra, Piplav, Sunav and terminating near Bandhani Chowk in the state of Gujarat.
458	351F	The highway starting from its junction with NH-351 near Amreli connecting ishvariya, Varasda, Pipariya, Toda, Lathy, Mahavirnagar, Chavand and terminating at its junction with NH-51 near Dhasa Chowk in the State of Gujarat.
459	147D	The highway starting from its junction with NH-47 near Limkheda connecting Hathidhara, Fulpari, Limdi and terminating at Gujarat/ Madhya Pradesh Border in the state of Gujarat

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (Pt-7)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 3807(E), dated 05.12. 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4008(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 460 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
460	751	गुजरात राज्य में भावनगर के निकट रारा - 51 (नारी जंक्शन) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भावलियारी, धोलेरा, आंबी, वलिंदा, पिंपली, आनंदपुर, भलोड, सरगवाल, वेजलका, केशरगढ़, रूपगढ़, करियाना, सारंधी, जलालपुर (गोधनेश्वर), लाना, सिंधरेज, रूपवती, जुवाल, चलोधा, कविता, वसना, चचरावाड़ी, भाट, ताजपुर, विशालपुर को जोड़ने वाला और सरखेज (अहमदाबाद) के निकट सरदार पटेल रिंग रोड पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3807, दिनांकित 05.12.2017 द्वारा की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

S.O. 4008(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 460 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
460	751	The highway starting from its junction with NH-51 (Nari Junction) near Bhavnagar connecting Bhavaliyari, dholera, Ambi, Valinda, Pimpali, Anandpur, Bholad, Saragval, Vejalka, Keshargadh, Rupgadh, Kariyana, Sarandhi, Jalalpur (Godhneshwar), Lana, Sindhrej, Roopvati, Juval, Chaloda, Kavitha, Vasna, Chacharavadi, Bhat, Tajpur, Visalpur and terminating at Sardar Patel Ring Road near Sarkhej (Ahmedabad) in the state of Gujarat

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (pt-7)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification No. 3807 dated 05. 12. 2017.